न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2023-147(GCMS2023-347)

महबूब पुत्र मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान
निवासी ग्राम हिण्डालगोल, तहसील बाप
जिला फलोदी

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. तजीमो पत्नी न्यालदीन
2. मुख्त्यार पुत्र न्यालदीन
3. बीबाई पुत्री न्यालदीन
4. निहालदीन उर्फ न्यालदीन पुत्र जेतु खां
   सभी जाति मुसलमान, निवासीगण ग्राम देदासरी,
   तहसील बाप, जिला फलोदी
5. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार बाप
   जिला फलोदी

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 18 अगस्त 2023 प्रकरण संख्या 322/2022 तजीमों व अन्य बनाम निहालदीन आदि

उपस्थित-
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 5

नि र्ण य

दिनांक : 27 नवम्बर 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप द्वारा प्रकरण संख्या 322/2022 तजीमों व अन्य बनाम निहालदीन आदि में पारित आदेश दिनांक 18 अगस्त 2023 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 29 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 3 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 व 92 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 113/1 रकबा 7.1953 हैक्टेयर, खसरा संख्या 114 रकबा 4.9372 हैक्टेयर वाके ग्राम देदासरी तथा खसरा संख्या 2/1 रकबा 12.6100 हैक्टेयर वाके ग्राम खाखूरी के संबंध में प्रस्तुत किया जाना जाहिर करते हुए मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया। जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18 अगस्त 2023 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि आलौच्य मामले में पक्षकारान मुस्लिम विधि से शासित होते है, मुस्लिम विधि के प्रावधानों के अनुसार पिता के जीवित रहते हुए संतान द्वारा पिता की खातेदारी भूमि बाबत विरासत के आधार पर दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 3 द्वारा अपने पिता रेस्पो. संख्या 4 के खिलाफ प्रस्तुत दावा चलने योग्य ही नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण-रेस्पो. के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। रेस्पो. संख्या 4 वादग्रस्त आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कृषि भूमि का उपयोग-उपभोग एवं बेचान-हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 3 पक्ष में साबित नहीं होते है। वादग्रस्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदार रेस्पो. संख्या 4 से अपीलाण्ट ने जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 4 नवम्बर 2022 को आराजी खसरा संख्या 113/1 व 114 में से भूमि कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया है और विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश कर पक्षकार भी संयोजित हुआ और समस्त तथ्यों एवं परिस्थिति को प्रकट करते हुए जबाब-प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया, जिसे नजरअंदाज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 अगस्त 2023 पारित करने में गम्भीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन द्वारा अपने पिता रेस्पो. संख्या 4 की खातेदारी में दर्ज वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होना एवं विरासतन अपने हक-हकूक उक्त भूमि में निहित होना जाहिर करते हुए प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत प्रार्थनापत्र किया, जिसको स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आलौच्य मामले में पक्षकारान मुस्लिम विधि से शासित होते है तथा मुस्लिम विधि के अनुसार पिता के जीवित रहते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संतान को पिता की सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 3 के पिता रेंस्पो. संख्या 4 की खातेदारी भूमि होना स्वीकृत तथ्य है। इन परिस्थितियों में अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु विचारणीय प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण-रेस्पो. के पक्ष में नहीं पाये जाते है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18 अगस्त 2023 बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के प्ररिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18 अगस्त 2023 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर